राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प॰ 9(15)गृह–5/2019 जयपुर, दिनांक : 22 JAN 2020

परिपत्र

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल रिट 235/2012 Save Life Foundation Vs. Union of India and Ors. में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2016 के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों का जीवन बचाने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किये है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को मदद पहुंचे, तुरन्त अस्पताल ले जाया जा सके एवं उनका उपचार हो सके।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशों की अनुपालना में केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक 25035/101/2014–आरएस दिनांक 12.05.2015 व 22.01.2016 को जारी की गई। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रति संलग्न है।

राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि राजमार्गो/अन्य मार्गों पर दुर्घटनाएं होने पर जो व्यक्ति मदद करते है उन्हे बार–बार पुलिस स्टेशन पर बुलाया जाता है एवं कई बार अनावश्यक रूप से ऐसे व्यक्तियों को प्रकिया संबंधी कठिनाई का सामना करना पडता है। दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की मदद के लिए व्यक्ति निःसंकोच रूप से आगे आएं एवं अनुकुल वातावरण बने जिससे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को त्वरित सहायता व ईलाज उपलब्ध हो ताकि ऐसे समय में जीवन के लिए Golden Hours में समुचित सहायता/उपचार उपलब्ध कराये जा सके यह आवश्यक है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किये गये है, के संबंध में पुलिस द्वारा दुर्घटना में मददगार व्यक्ति (Good Samaritan) के साथ किये जाने वाले व्यवहार के संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. किसी सड़क दुर्घटना में मददगार व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल लेकर जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को तुरन्त जाने की अनुमति दी जाएगी। अगर वह प्रत्यक्षदर्शी है तो स्वयं का पता बताने के बाद जाने दिया जाएगा।
2. दुर्घटना में मददगार व्यक्ति किसी सिविल या आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. दुर्घटना में मददगार व्यक्ति यदि दुर्घटना/घायल पडे हुए व्यक्ति की सूचना पुलिस को देता है या किसी अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए फोन करता है तो उसे फोन पर या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर नाम एवं व्यक्तिगत जानकारी देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।
4. दुर्घटना में मददगार व्यक्ति को अपना नाम अथवा व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य एवं धमकाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक या विभागीय कार्रवाई की जावेगी।
5. दुर्घटना में मददगार व्यक्ति जिसने स्वैच्छिक रूप से उल्लेख किया है कि वह उस दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी है तथा पुलिस द्वारा अथवा मुकदमें के दौरान जांच–पड़ताल के प्रयोजनों के लिए उसका जांच किया जाना अपेक्षित है तो एक ही बार पूछताछ की जाएगी तथा ऐसी मानक संचालन प्रकिया विकसित की जाये ताकि यह सुनिश्चित हो कि मददगार को उत्पीड़ित अथवा धमकाया ना जाए।
6. दुर्घटना में मददगार को उत्पीड़न से बचाने अथवा असुविधा से दूर रखने के लिए एवं संदर्भित व्यक्ति जो प्रत्यक्षदर्शी है से पूछताछ के दौरान विडियो कांफ्रेसिंग का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाएगा।

अतः दुर्घटना में मददगार (Good Samaritan) संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों की पालना की जावे तथा जागरूक रहकर संवेदनशीलता से मदद करने वाले व्यक्तियों को अनावश्यक परेशानी नहीं हो यह सुनिश्चित किया जावे।

निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित हो।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, गृह विभाग विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

वरिष्ठ शासन उप सचिव,
गृह (सुरक्षा) विभाग